न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,नागौर

पीठासीन अधिकारी–डॉ0 जितेन्द्र कुमार सोनी, आई.ए.एस.

प्रार्थना पत्र प्रकरण संख्या– 156 **/2020**
जी.सी.एम.एस. पोर्टल संख्या– 2020/ 00198

प्रार्थी	बनाम	**अप्रार्थीगण**
ए.यू. स्मॉल फाईनेन्स बैंक लिमिटेड, 19–ए झुलेश्वर गार्डन, अजमेर रोड, जयपुर 302001 राजस्थान द्वारा प्राधिकृत अधिकारी सुरेश गौड पुत्र जगदीश प्रसाद गौड, शाखा प्रबन्धक, एयू स्मॉल फाईनेन्स बैंक लिमिटेड, शाखा कार्यालय नागौर।		1. दीपसिंह पुत्र मोहनसिंह पोस्ट टापरवाडा तहसील परबतसर जिला नागौर 341512 दुसरा पता– दीपसिंह, व्यावसायिक प्लोट टापरवाडा, काली माता मंदिर तहसील परबतसर जिला नागौर 341512 2. श्रीमति नन्दूकंवर पत्नि दीपसिंह, निवासी कुम्हारो का बास, पोस्ट टापरवाडा तहसील परबतसर जिला नागौर 341512 3. पुखराज माली पुत्र घनश्याम, 201 मालियों की ढाणी, पोस्ट मोडी खुर्द तहसील परबतसर जिला नागौर 341503

आदेश **दिनांक:** 03-12-2020

प्रार्थी की ओर से यह प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के तहत पेश हुआ। जो दर्ज रजिस्टर हो।

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों में यह कथन किया है कि प्रार्थी बैक ने अप्रार्थी/ऋणी को जरिये **रूपये 3,50,000/–(अक्षरे तीन लाख पच्चास हजार रूपये मात्र) ऋण सुविधा दिनांक 08.03.2016** को ऋण उपलब्ध करवाया गया। अप्रार्थीगण/ऋणी द्वारा उक्त प्राप्त ऋण की सुविधा के एवज में **सम्पति– व्यावसायिक प्लोट टापरवाडा काली माता मंदिर तहसील परबतसर जिला नागौर जो 2000 वर्गफुट जायगा व उसमें स्थित सम्पति जिसमें भूमि, भवन व ढांचा आदि सभी जो सम्पति के अभिन्न अंग है, जो दीपसिंह द्वारा धारित है। जिसके पडोस निम्न है– उतर में– पंचायत जमीन, दक्षिण में– मुन्नी तेली, पूर्व में– आम रास्ता, पश्चिम में– रेवेन्यू लेण्ड,** जो प्रार्थी बैक के पास ऋण अदायगी हेतु ऋणी एंव जमानतदार ने आवश्यक दस्तावेज निष्पादित किये ।

अप्रार्थीगण/ऋणी ने उपलब्ध ऋण का बैक के नियमानुसार भुगतान नही चुकाया। जिसकी वजह से उक्त खाते को **दिनांक 13.08.2019** को एन.पी.ए. घोषित कर दिया गया व अप्रार्थी/ऋणी में **रूपये 3,27,784/– (अक्षरे तीन लाख सत्ताईस हजार सात सौ चौरासी रूपये मात्र) दिनांक 03.12.2019 तक शेष देय एंव दिनांक 04.12.2019 से आगे का ब्याज व खर्चे सहित राशि का गुगतान** बकाया निकलते है।

उक्त ऋण खाते में ऋणी द्वारा नियमानुसार भुगतान नहीं करने पर एन.पी.ए. घोषित होने के बाद एक्ट की धारा 13 (2) के अन्तर्गत प्रार्थी बैक ने ऋणी/अप्रार्थी को **दिनांक 05.12.2019** को रजिस्टर्ड नोटिस दिये गये परन्तु अप्रार्थी संख्या–4 पुखराज को रजिस्टर्ड डाक से प्रेषित नोटिस की प्राप्ति स्वीकृति (एडी फार्म) पर पाने वाला लेने से इंकार की रिपोर्ट के साथ प्राप्त हुआ है, जो अप्रार्थी संख्या–4 पुखराज की तामील पर्याप्त है। अन्य अप्रार्थी द्वारा उपर्युक्त नोटिस प्राप्ति के पश्चात भी अप्रार्थीगण द्वारा ऋण राशि जमा नहीं करवायी गई व न बंधक शुदा सम्पति सम्पूर्ण कब्जा प्रार्थी बैक को दिया गया। ऋणी को उपरोक्त नोटिस के अनुसार 60 दिन के अन्दर–अन्दर ऋण राशि में **रूपये 3,27,784/– (अक्षरे [illegible] सत्ता[illegible] सात सौ चौरासी रूपये मात्र) दिनांक 03.12.2019 तक शेष देय एंव दिनांक 04.12.2019 से आगे का [illegible] र्चे सहित राशि का भुगतान** को जमा कराना था, परन्तु ऋणी/अप्रार्थीगण ने उपरोक्त [illegible] के अनुसार [illegible] राशि जमा नहीं करवाई, के कारण एक्ट की धारा 13 (4) के अन्तर्गत कार्यवाही करना आवश्यक हो गया [illegible]

एक्ट की धारा 14 (1) के अन्तर्गत [illegible] पति का ऋणी एवं ज[illegible] यों से कब्जा लेने में सहायता आवश्यकता है, के कारण प्रार्थी बैक ने जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष बैक सिक्योरिटीज एवं सिक्योरिटीज से

Signature Not Verified
Digitally signed by Jitendra Kumar Soni
Date: 2021.04.05 19:18:34 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट
नागौर

नागौर (राज.)

संबंधित डोक्यूमेन्ट का ऋणी / जमानती से कब्जा लेकर प्रार्थी बैक को कब्जा दिलवाने के लिये प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

बैक सिक्योरिटीज सम्पति का विवरण **सम्पति– व्यावसायिक प्लोट टापरवाडा काली माता मंदिर तहसील परबतसर जिला नागौर जो 2000 वर्गफुट जायगा व उसमें स्थित सम्पति जिसमें भूमि, भवन व ढांचा आदि सभी जो सम्पति के अभिन्न अंग है, जो दीपसिंह द्वारा धारित है। जिसके पडोस निम्न है– उत्तर में– पंचायत जमीन, दक्षिण में– मुन्नी तेली, पूर्व में– आम रास्ता, पश्चिम में– रेवेन्यू लेण्ड,** जो प्रार्थी बैक के पास हाईपोथीकेटेड है, का कब्जा लेना है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर प्रार्थना पत्र में वर्णित सम्पत्ति का कब्जा संबंधित डौक्यूमेन्टस का कब्जा एक्ट की धारा 14 के अनुसार ऋणी / अप्रार्थीगण से प्रार्थी बैक को कब्जा दिलाने का आदेश जारी करने हेतु निवेदन किया है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि ऋणी / अप्रार्थीगण ने प्रार्थी बैक से **रूपये 3,50,000 / –(अक्षरे तीन लाख पच्चास हजार रूपये मात्र) ऋण सुविधा दिनांक 08.03.2016** को प्राप्त की थी। उक्त ऋण के बदले में इकरारनामा व उससे संबंधित दस्तावेज तैयार कर अपने हस्ताक्षर से प्रार्थी बैक के पक्ष में निष्पादित किये थे। प्रार्थी बैक द्वारा नियमानुसार ऋण वसूली के लिये आडिनेन्स की धारा 13 (2) के अन्तर्गत नोटिस जारी करना पाया जाता है।

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 में उपरोक्तानुसार रहन की गयी सम्पत्ति को प्रार्थी के कब्जे में दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है। जो इस प्रकार है:– प्रतिभूति आस्थी का कब्जा लेने में प्रतिभूति लेनदार की सहायता करने के लिये मुख्य महानगरीय मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट जहां किसी प्रतिभूति आस्तियों का कब्जा प्रतिभूत लेनदार द्वारा लिये जाने की आवश्यकता हो, या यदि किन्ही प्रतिभूत आस्तियों का विक्रय या अन्तरण प्रतिभूत लेनदार द्वारा इस अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत किये जाने की आवश्यकता हो, तो प्रतिभूत लेनदार किसी प्रतिभूत आस्ति के कब्जे या नियंत्रण को लेने के प्रयोजन के लिये, लिखित में मुख्य महानगरीय मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट को उनकी अधिकारिता के भीतर अनुरोध करेगा, ऐसी कोई प्रतिभूत आस्ति या उससे संबंधित अन्य दस्तावेज स्थित हो सकेगा या पाया जा सकेगा,उसका कब्जा लेने के लिये अनुरोध करेगा,और मुख्य महानगरीय मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट जो स्थित हो, उसको किये गये उस अनुरोध पर –(क)उस आस्ति और उससे संबंधित दस्तावेजों का कब्जा लेगा, और (ख) प्रतिभूत लेनदार को उन आस्तियों और दस्तावेजों को भेजेगा।

धारा 14 (2) उप धारा (1) के प्रावधानों के साथ अनुपालना को सुनिश्चित करने के प्रयोजन के लिये, मुख्य महानगरीय मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट उन कदमो को लेगा या लिवा सकेगा या ऐसा बल प्रयुक्त कर सकेगा जो उसकी राय मे आवश्यक हो सकेगा।

उपरोक्त प्रावधानो को दृष्टीगत रखते हुए इस संबंध मे पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने हेतु आदेश पारित किया जाना हम उचित समझते हैं । अतः प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। पुलिस अधीक्षक नागौर को निर्देश दिये जाते है कि अप्रार्थी / ऋणी द्वारा प्रार्थी बैंक के पक्ष मे बतौर प्रतिभूति अपने स्वामित्व मे **सम्पति– व्यावसायिक प्लोट टापरवाडा काली माता मंदिर तहसील परबतसर जिला नागौर जो 2000 वर्गफुट जायगा व उसमें स्थित सम्पति जिसमें भूमि, भवन व ढांचा आदि सभी जो सम्पति के अभिन्न अंग है, जो दीपसिंह द्वारा धारित है। जिसके पडोस निम्न है– उत्तर में– पंचायत जमीन, दक्षिण में– मुन्नी तेली, पूर्व में– आम रास्ता, पश्चिम में– रेवेन्यू लेण्ड,** जो प्रार्थी बैक के पास हाईपोथीकेटेड है, को प्रार्थी बैंक के हक मे बंधक किया था तथा बंधक विलेख निष्पादित किया था, के संबंध मे संबधित थानाधिकारी, पुलिस थाना को निर्देशित करे कि वे उक्त संपति का कब्जा व उससे संबंधित अन्य कोई दस्तावेज अप्रार्थी के कब्जे मे हो तो उन दस्तावेजो को प्रार्थी को संभलाने हेतु मौके पर जाकर विधि सम्मत कार्यवाही करें।

आदेश सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jitendra Kumar Soni
Date: 2021.04.05 19:18:34 IST
Reason: SelfAttested

(डॉ0 जितेन्द्र कुमार सोनी)
जिला कलक्टर एंव मजिस्ट्रेट,नागौर
जिला मजिस्ट्रेट
नागौर